संख्या-104/2018/3604 ई-2/तेरह-2018-100/88

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 27 नवम्बर,2018

विषय:- विभिन्न चिकित्सालयों, शिक्षण संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, सुरक्षा संस्थाओं एवं अन्य प्रतिष्ठानों को निःशुल्क सुरासव तथा विशुद्ध मद्यसार दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-994/सं0आ0आ0/टास्क फोर्स/जनहित गारण्टी अधिनियम/2018-19, दिनांक 17 सितम्बर,2018 तथा पत्र संख्या-2469/सं0आ0आ0/टास्क फोर्स/जनहित गारण्टी अधिनियम/2018-19, दिनांक 29 अक्टूर,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-4699 ई-2/तेरह-100/88, दिनांक 17 मार्च,1989 के परिशिष्ट-क की व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-3195 ई-2/तेरह-95-100/88, दिनांक 15 नवम्बर,1995 द्वारा संशोधित परिशिष्ट-क में उल्लिखित मांग पत्र पर प्रतिहस्ताक्षरित करने एवं मांग पत्र की जांच कर संस्तुति देने वाले अधिकारियों की व्यवस्था में कतिपय संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्रों द्वारा भेजी गई आख्या एवं की गई संस्तुति के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभिन्न चिकित्सालयों, शिक्षण संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, सुरक्षा संस्थाओं एवं अन्य प्रतिष्ठानों को निःशुल्क सुरासव तथा विशुद्ध मद्यसार दिये जाने हेतु निर्गत् शासनादेश दिनांक 17 मार्च,1989 के परिशिष्ट-क (शासनादेश दिनांक 15 नवम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित) में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

संस्था का नाम	श्रेणी	माँग-पत्र देने वाला अधिकारी	माँग-पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी	माँग-पत्र की जांच कर संस्तुति देने वाला अधिकारी	संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन द्वारा एक वर्ष में निःशुल्क दी जाने वाली अधिकृत मात्रा (ली0में)	संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन द्वारा एक वर्ष में निःशुल्क दी जाने वाली अधिकृत मात्रा (ली0में)	उप आबकारी आयुक्त, प्रभार द्वारा एक वर्ष में निःशुल्क दी जाने वाली अधिकृत मात्रा (ली0में)	उप आबकारी आयुक्त, प्रभार द्वारा एक वर्ष में निः शुल्क दी जाने वाली अधिकृत मात्रा (ली0में)
					सुरासव	विशुद्ध मद्यसार	सुरासव	विशुद्ध मद्यसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-अस्पताल	(1) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान	निदेशक, आयुर्विज्ञान संस्थान	-	जिला आबकारी अधिकारी	4,000	1,000	--	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	(2) मेडिकल कालेज	प्रिंसिपल	-	जिला आबकारी अधिकारी	1800	600	--	--
	(3) सरकारी अस्पताल	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	-	जिला आबकारी अधिकारी	600	120	--	--
	(4) गैर सरकारी अस्पताल	प्रभारी चिकित्सा अधिारी	सी0एम0 ओ0 द्वारा प्रमाणित करने पर कि अस्पताल धर्मार्थ है	जिला आबकारी अधिकारी	--	--	300	24
2-शिक्षण संस्थायें	(1) विश्व-विद्यालय	रजिस्ट्रार	--	जिला आबकारी अधिकारी	960	240	--	--
	(2) डिग्री कालेज	प्रिंसिपल	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने पर कि उक्त कालेज मान्यता प्राप्त है।	जिला आबकारी अधिकारी	480	180	--	--
	(3) स्कूल/कालेज (इण्टरमीडिएट स्तर तक)	प्रिंसिपल	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रमाणित करने पर कि उक्त स्कूल/कालेज मान्यता प्राप्त है।	जिला आबकारी अधिकारी	240	120	--	--
3-सरकारी प्रयोग-शालाएं	(1) केन्द्रीय	प्रभारी अधिकारी प्रयोगशाला	--	जिला आबकारी अधिकारी	480	60	--	--
	(2) प्रदेशीय	तदैव	--	जिला आबकारी अधिकारी	--	--	360	36
4-विविध संस्थायें	(1) राजकीय	प्रभारी अधिकारी, संस्था	--	जिला आबकारी अधिकारी	--	--	300	24

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(2)अराजकीय	**तदैव**	**कलेक्टर द्वारा प्रमाणित करने पर कि संस्था का कार्य जनहित में है।**	**जिला आबकारी अधिकारी**	**--**	**--**	**120**	**12**
5-सैनिक प्रतिष्ठान	**सुरक्षा सामग्री उत्पादित करने वाली इकाईयाँ**	**प्रभारी अधिकारी, प्रतिष्ठान**	**--**	**जिला आबकारी अधिकारी**	**--**	**--**	**1200**	**120**

3- शासनादेश संख्या-4699 ई-2/तेरह-100/88, दिनांक 17 मार्च,1989 एवं शासनादेश संख्या-3195 ई-2/तेरह-95-100/88, दिनांक 15 नवम्बर,1995 की शेष शर्तें व प्रक्रिया यथावत् रहेंगी।

भवदीया,
कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-104/2018/3604(1)ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, लखनऊ।
(7) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
(8) निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(9) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(10) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा निदेशालय, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।
(11) निदेशक, होम्योपैथिक निदेशालय, निरालानगर, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।